दिनांक 20 नवम्बर, 1981

क्रमांक **2071-ज(II)-81/41364.**—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री प्यारे लाल, पुत्र श्री राम दिया, गांव तिहाड़ खुर्द, तहसील व जिला सोनीपत, को रबी, 1973 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक **2076-ज(II)-81/41371.**—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है), की धारा 2(ए)(1) तथा 3(1) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री मांगे राम, पुत्र श्री रहीम बख्श, गांव रहमाना, तहसील व जिला सोनीपत, को रबी, 1973 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

दिनांक 23 नवम्बर, 1981

क्रमांक **2082-ज(I)-81/42058.**—श्री बुध राम, पुत्र श्री हुटठू, गांव पोता, तहसील व जिला महेन्द्रगढ़, की दिनांक 18 जुलाई, 1979 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री बुध राम को मुब्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे, हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 5046-ज(I)-73/25735, दिनांक 24 अगस्त, 1973 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती मोहरा के नाम रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

दिनांक 25 नवम्बर, 1981

क्रमांक **2150-ज(I)-81/42067.**—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री सदा राम, पुत्र श्री प्रेमा राम, गांव दुर्जनपुर, तहसील व जिला हिसार को रबी, 1973 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

दिनांक 26 नवम्बर, 1981

क्रमांक **2081-ज-(I)-81/42105.**—श्री करम सिंह, पुत्र श्री काला सिंह, गांव रायेवाली, तहसील नारायणगढ़, जिला अम्बाला, की दिनांक 15 दिसम्बर, 1978, को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1) तथा 3(1) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री करम सिंह की मुब्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 182-ज-I-76/7607, दिनांक 11 मार्च, 1976, द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती मंगल कौर के नाम खरीफ, 1979 से 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

दिनांक 2 दिसम्बर, 1981

क्रमांक **2140-ज(II)-81/42699.**—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल श्रीमती चमेली देवी, विधवा श्री [illegible] सिंह, गांव [illegible]पुर, तहसील व जिला सोनीपत, को रबी, 1969 से रबी, 1970 तक 100 रुपये वार्षिक तथा खरीफ, 1970 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

देस राज सतीजा,

विशेष कार्य अधिकारी, हरियाणा सरकार,

राजस्व विभाग।